



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016



संख्या 856

/नि0प्रा0-90/2014-15/वा0नि0-5

दिनांक 1/5/2015

सेवा में,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

स्वीकृति-पत्र

श्री गुरु बचन सिंह, सचिव,
कहलो सहकारी आवास समिति,
एन0बी0सी0 सिंगार नगर,
लखनऊ।

विषय: वृन्दावन योजना संख्या-3 सेक्टर-12 लखनऊ में कहलो सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में की
समायोजित भूमि के नियोजन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित ले आउट/नम्बरिंग मानचित्र निर्गत करने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक 5-9-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समिति के पक्ष में वृन्दावन योजना लखनऊ के योजना सं0-3 के सेक्टर-12 में समायोजित भूमि पर भूखण्डीय विकास का लेआउट/नम्बरिंग मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत आवेदन के सापेक्ष प्रपत्र/ले आउट मानचित्र के तकनीकी परीक्षणोपरान्त प्रकरण को सक्षम स्तर, मुख्य वास्तुविद नियोजक/सचिव (म0) को प्रस्तुत किया गया है जिसपर सचिव महोदय द्वारा दिनांक 30-4-2015 को कतिपय शर्तों सहित अनुमोदन प्रदान किया है।

उक्त अनुमोदन के क्रम में एतद्वारा निम्नांकित शर्तों सहित ले-आउट मानचित्र निर्गत किया जाता है :-

1. यह स्वीकृति नियोजन समिति की बैठक दिनांक 2-8-2000 एवं 3.8.2013 के निर्णय/शर्तों के क्रम में प्रदान की गयी है। आवास आयुक्त महोदय द्वारा प्रश्नगत भूमि का समायोजन करते हुए ले आउट में दिनांक 10-5-2013 को अनुमोदित किया गया है जिसका अनुपालन किया जाना होगा।
2. स्वीकृत ले आउट/नम्बरिंग मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। (दिनांक 1.5.2015 से 30.4.2020 तक)।
3. ले आउट मानचित्र में लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित स्वीकृति मान्य होगी।
4. ले आउट के अनुसार सृजित भूखण्डों का निर्माण मानचित्र उपविधि-2008 यथा संशोधित के अनुसार सक्षम स्तर/से अनुमोदन /स्वीकृति भूमि हेतु वांछित विभिन्न मदों के शुल्कों के अद्यावधिक भुगतान के किशतों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा।
5. भूमि अर्जन अनुभाग के पत्र 2008/एल0ए0सी0-एच0क्यू0 दिनांक 20-3-2014 के अनुसार परिषद की 224वीं/17 के निर्णय/अनुपालन के अनुसार 86790.00 व0मी0 का 25 प्रतिशत भूमि परिषद के पक्ष में धनराशि जमा करने तक मोर्टगेज करने के निर्देश के क्रम में ले आउट में 25% भूमि चिन्हांकित की गयी है, का अनुपालन किया जायेगा।
6. समिति द्वारा चिन्हांकित भूमि पर भू-खण्डीय विकास का नियोजन किया गया है। शासनादेश सं0 3188/8-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 5-12-2013 के अनुसार ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों का बहुमजिलीय निर्माण जी+3 प्रस्ताव दिया गया है। जिसके निर्माण की सुनिश्चितता हेतु योजना क्षेत्र की 10% भूमि बन्धक के रूप में रखी जानी प्रस्तावित है। जिसमें कमशः 64-64 नग ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।
7. प्रस्तावित नियोजन में भू-उपयोग/सम्पत्तियों का विवरण का विवरण अनुमोदित मानचित्र शीट न0पर अंकित है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
8. स्वीकृत ले आउट मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। निर्माण एवं विकास कार्य परिषद द्वारा समायोजित 86790.00 व0मी0 भूमि पर आवास आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित ले आउट के अनुसार किया जायेगा।
9. परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30-3-2013 के मद संख्या 224/17 के निर्णयानुसार भूमि अर्जन अनुभाग मुख्यालय के पत्र संख्या 2008/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 20-03-2014 के क्रम में समिति को 86790.00 व0मी0 भूमि के ले आउट स्वीकृति अनुमन्य की गयी है।
10. प्रश्नगत समिति उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-14 (2) के अर्न्तगत शासन की नई संशोधित उपविधि-2004 एवं सहकारिता अनुभाग के परिषद के पत्रांक 846/सह0 दिनांक 7-6-2005 के माध्यम से पंजीकृत है, के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा।

29. जिसके अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्राविधानों के अनुसार समिति हेतु आरक्षित भूमि का उपविभाजन ले आउट मानचित्र में तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
30. समिति द्वारा परिषद के साथ किये गये पूर्व निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा अन्यथा की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
31. शासनादेश के अनुसार कम से कम 125 पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
32. मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के द्वारा जारी अग्निशमन सम्बंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र सं० प०-2096/एफ०एस०-15 दिनांक 27-4-2015 की शर्तों/नियमों का अनुपालन किया जाना होगा।
33. शासन/परिषद द्वारा भविष्य में जारी शासनादेशों/नीतियों का भी अनुपालन किया जाना होगा।
- सलग्नक: स्वीकृत ले आउट/नम्बरिंग मान०-01 नग।


(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ० सं०:-

856

/उक्त /

दिनांक: 1.5.2015

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन योजना उ०प्र०, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2.अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ।
को स्वीकृत लेआउट मानचित्र/नम्बरिंग की अनुमोदित एक प्रति सहित।
3. आवास आयुक्त-सम्पत्ति प्रबंध, वृन्दावन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
4. उप आवास आयुक्त-भूमि अर्जन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी